Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

धर्म सिंह वगै० बनाम अमरूति वगै०

अपील संख्या 124/2025 अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट GCMS NO 2025/304

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 124/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.9.25	अपील श्री इसाफ अली अधिवक्ता ने पेश की। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट वजीरपुर के पत्रांक न्याय/2025/2102 दिनांक 27.6.25 के विरूद्व पेश की गई है। जिसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम बडोली के आराजी ख०न० 1819/1771 रकबा 1.20 है० व 1823/887 रकबा 0.60 है० पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने हेतु पुलिस उपाधीक्षक,गंगापुर सिटी को पत्र लिखा गया है। चूकिः उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखा गया पत्र एक सामान्य पत्राचार है किसी प्रकार का कोई विधिक आदेश नही है। इस न्यायालय को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत पारित किसी प्रकार के विधिक आदेश के विरूद्व अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील किसी आदेश के विरूद्व नही होकर एक सामान्य पत्राचार के विरूद्व पेश की गई है। जिसको सुनने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही होने से अपीलांट की अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार/क्षैत्राधिकार मे नही होने से एडमिशन स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील क्षैत्राधिकार के बिन्दु पर ही खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner